न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **राकेश कुमार,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 14/2019 (रा.प्रा.पत्र)
पंजीयन दिनांक 14.11.2019
G.C.M.S. NO. :- 2019/00098

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–प्रार्थी

बनाम

1–श्री रतनलाल पिता स्व. मगना सालवी निवासी रूद, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–श्रीमति धापू पत्नि स्व. मगना सालवी निवासी रूद, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भूराजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम, 1970 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी कपासन मि. न. 362/75 आवंटन दिनांक 17.05.1976

उपस्थितिः–1– श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्र. सं. 14/2019 (रा.प्रा.पत्र)
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, राशमी बनाम श्री रतनलाल पिता स्व. मगना सालवी निवासी रूद वगैरा

निर्णय

दिनांक 14.08.2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार, राशमी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) राजस्थान भूआवंटन नियम, 1970 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के पेश कर निवेदन किया कि मौजा रूद, तहसील राशमी की बिलानाम आराजी नम्बर 2459/2245 रकबा 0.09 बीघा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ गैर खातेदारी हक से मगना पिता उदेराम सालवी को तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, कपासन द्वारा जरिये मिसल नम्बर 362/75 से दिनांक 17.05.1976 को आवंटित की। मगना की मृत्यु होने से उक्त भूमि वर्तमान में विपक्षीगण के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज है। उक्त गैर खातेदारी हक से आवंटित भूमि पर विपक्षीगण का कभी भी कब्जा एवं काश्त नहीं रहा है तथा न ही विपक्षीगण ने आवंटन नियमों की पालना की। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण को किया गया आवंटन निरस्त फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राशिदुल गफूर ने अधिकार पत्र पेश किया तथा उसके पश्चात् विपक्षीगण तथा उनके अधिवक्ता के बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से विपक्षीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। संबंधित भू आवंटन पत्रावली तलब की गई। जिला अभिलेखागार से तलबीदा पत्रावली जाया होने की सूचना प्राप्त होने पर बहस प्रकरण राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

विद्वान राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि विपक्षी संख्या 1 के पिता एवं विपक्षी संख्या 2 के पति स्व. मगना को मौजा रूद की आराजी संख्या 2459/2245 रकबा 0.09 बीघा किस्म बारानी 2 भूमि का आवंटन तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, कपासन द्वारा किया गया किन्तु स्व. मगना एवं विपक्षीगण द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं की है तथा आवंटित भूमि पर कभी भी विपक्षीगण का कब्जा नहीं रहा एवं मौके पर वर्तमान मे भी विपक्षीगण का कब्जा नहीं होकर मौके पर अन्य तीन व्यक्तियों का कब्जा है। अतः आवंटन निरस्त फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार भू आवंटन कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, कपासन द्वारा मगना जो कि विपक्षी संख्या 1 का पिता एवं विपक्षी संख्या 2 का पति

है को मौजा रूद तहसील राशमी की आराजी संख्या 2459/2245 रकबा 0.09 बीघा भूमि का आवंटन गैर खातेदारी हक से किया गया । लेकिन आवंटन के पश्चात् से उक्त भूमि पर मगना तथा मगना की मृत्यु के बाद विपक्षीगण का कभी कब्जा-काश्त नहीं रहा है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध पटवार हल्का बारू/रूद के मौका पर्चा दिनांक 19.09.2019 से होती है।

पटवार हल्का बारू/रूद ने अपने मौका पर्चा दिनांक 19.09.2019 में उक्त आवंटित भूमि आराजी नम्बर 2459/2245 रकबा 0.09 बीघा भूमि पर आवंटी एवं विपक्षीगण का कभी कब्जा काश्त नहीं होना तथा उक्त भूमि पर तीन अन्य व्यक्तियों श्री धनराज पिता हरलाल गुर्जर, श्री रूघनाथ पिता मांगू गुर्जर एवं श्री रामा धन्ना पिता हरलाल गुर्जर का कब्जा होकर बाउण्ड्रीवाल एवं पक्का निर्माण होना बताया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि आवंटी तथा विपक्षीगण का उसको गैर खातेदारी हक से आवंटित भूमि पर कभी कब्जा एवं काश्त नहीं रहा है तथा आवंटी एवं विपक्षीगण द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई है। निष्कर्षतः भूमिधारी तहसीलदार, राशमी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं विपक्षीगण को आराजी नम्बर 2459/2245 रकबा 0.09 बीघा भूमि का किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(राकेश कुमार)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official